

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

ग्रा0पं0- धरौंव-

वि0ख0- ज्ञानपूर

जनपद- भादोही

ग्राम पंचायत में दिनांक 14.8.2023 को ग्राम पंचायत की एक बैठक आहूत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-

1- ग्राम पंचायत की एक बैठक ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है-

क्रम	सदस्य का नाम	वर्गीकरण (महिला / अनु0जा0 / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / गरीबी रेखा के नीचे / भूमिहीन) उम्र	पदनाम (अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष / सदस्य)	सम्पर्क सूत्र मोबाईल न0
1	श्री मती उर्मिला देवी	पिछड़ी 54	अध्यक्ष	9956215090
2	श्री वंदना श्रीवास्तव	सामान्य 50	सचिव	7288927242
3	श्री प्रीति	पिछड़ी 30	कोषाध्यक्ष	8707420577
4	श्री इन्द्रावती देवी	" " 50	सामान्य सदस्य	8299890880
5	श्री असरफ़ी देवी	अनुसूचित 40	सामान्य सदस्य	9695563690
6	श्री मनभावती देवी	पिछड़ी 45	सामान्य सदस्य	9372798763
7	श्री शानी देवी	पिछड़ी 35	सामान्य सदस्य	708468078502
8	श्री मोना शर्मा	पिछड़ी 37	सामान्य सदस्य	9559957533
9	श्री रामधनी	पिछड़ी 50	सामान्य सदस्य	9125516348
10	श्री राम प्रसाद	पिछड़ी 55	सामान्य सदस्य	8810845057
11	श्री विपक	पिछड़ी 35	सामान्य सदस्य	8081706944
12	श्री शंकरधाम उपाध्याय	सामान्य 60	सामान्य सदस्य	
13	श्री शंकरधाम यादव	पिछड़ी 40	सामान्य सदस्य	7985672380
14	श्री भोलानाथ	पिछड़ी 60	सामान्य सदस्य	6388293470
15	श्री दिशालाल	पिछड़ी 50	सामान्य सदस्य	

2- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वित कर सकें।

4- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं / सेवाओं हेतु रख-रखाव / उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।



- 5- कार्यक्रम की धनराशि के प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसके संचालन की अनुमति प्रदान की गई।
- 6- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को योजना की रूपरेखा बनाने एवं उसे क्रियान्वित करने के स्तर पर नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार भुगतान करने एवं "Sign Off" हेतु अधिकृत किया गया। ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति एवं स्वच्छता की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु तकनीकी विकल्पों पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
- 7- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित सेवाओं हेतु उपयुक्त अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एजेन्सी के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) एवं स्वीकृत पत्र (CONSENT) एवं अनुबन्ध पत्र (CONTRACT) हस्ताक्षरित करें।
- 8- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उपार्जन कर उपलब्ध कराये तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।
- 9- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उसकी समस्त गतिविधियों को करने में पूर्ण सहयोग एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- 10- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिये भी अधिकृत किया गया। तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रबन्ध हेतु तैयार की गयी प्रणाली एवं सम्पत्ति का निरीक्षण में सहयोग प्रदान करें।
- 11- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बहु-ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु-ग्रामीण योजनाओं से सम्बन्धित अन्तर ग्राम सुविधाओं (यदि लागू हो तो) सामान्य सुविधाओं के संचालन प्रबन्धन एवं अधिकांश जलापूर्ति हेतु संयोजन करें।

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर:-

क्रम	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर या नि० अगूठों
1	अमिता अमिता देवी	अध्यक्ष	3/2/2011
2	कल्पना अवास्तव	सचिव	
3	प्रीति	कोषाध्यक्ष	प्रीति
4	इन्द्रावती	सामान्य सदस्य	इन्द्रावती
5	असरफी देवी	सामान्य सदस्य	असरफी
6	मनभावती देवी	सामान्य सदस्य	मन भावती
7	शनी देवी	सामान्य सदस्य	शनी देवी
8	मोना रामा	सामान्य सदस्य	मोना रामा
9	शमप्रसाद	सामान्य सदस्य	शम प्रसाद
10	शमप्रसाद	सामान्य सदस्य	शम प्रसाद
11	दीपक	सामान्य सदस्य	दीपक
12	राधेश्याम	सामान्य सदस्य	राधेश्याम
13	राधेश्याम यादव	सामान्य सदस्य	राधेश्याम यादव
14	भोलानाथ	सामान्य सदस्य	भोलानाथ
15	दिलशान	सामान्य सदस्य	

